न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—183 / 2020 / 225 (2020 / 00183)

1. हरलाल पुत्र मांगीलाल, जाति गुर्जर, निवासी कायड, तहसील एवं जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. देवा पुत्र रामदेव,
2. कालू पुत्र रामदेव,
3. केसर पत्नि रामदेव,
4. सरोज पुत्र रामदेव,
5. कमला पुत्री रामदेव,

   समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम कायड, तहसील एवं जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 21.9.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 24 / 2020.

उपस्थितः—

1. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री अभिषेक शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5.

निर्णय

दिनांकः— 12.01.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय) के आदेश दिनांक 21.9.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण / रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी / अपीलांट के प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 2846 रकबा 0.6744, खसरा नंबर 5447 / 2846 रकबा 0.02 है0 ग्राम कायड, तहसील व जिला अजमेर में स्थित है । उक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी की सहखातेदारी काश्तकारी की आराजियात है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण की अभिभाजित आराजी है। विवादित आराजी में वादीगण ने 1 / 2 हिस्सा होने का कथन कर निवेदन किया कि प्रतिवादी वादीगण के हिस्से की आराजी के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी उत्पन्न करते है तथा आराजी को रहन, बेचान करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 21.9.2020 को उभयपक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आराजी रहन, बेचान व मुन्तकिल किये जाने की निषेधाज्ञा से पाबंद करने का आदेश

पारित किया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय क निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को प्रकरण में जवाब एवं संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत रेस्पो0 को अवांछित लाभ पहुंचाने की गरज से अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधी0न्याया0 द्वारा पेशी दिनांक 14.9.2020 को प्रकरण में अपीलांट ने जवाब बाबत् समय चाहा, किन्तु प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश बिना सुनवाई के पारित कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 5.11.2020 नियत करने पर प्रकरण में सुनवाई बाबत् एक प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का दिनांक 18.9. 2020 को पेश हुआ जिसे जवाब का अवसर दिये बिना मूल प्रकरण पर बिना साक्ष्य एवं जवाब का समय दिय अंतिम निर्णय पारित कर दिया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण अविभाजित आराजी मानकर प्रस्तुत किया गया है जबकि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 का निहित हिस्सा की आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क में अवाप्त होने के कारण राजस्व अभिलेख में दर्ज इंद्राज का गलत दुरूपयोग करते हुए प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जबकि वादीगण/रेस्पो0 ने अपने हिस्से की अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबर 5406/2846 बाबत् वाद में कथन ही नहीं किया है । खसरा नंबर 2846 पर अपीलांट काबिज है एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 5 आराजी खसरा नंबर 5406/2846 पर काबिज है । दोनों अपने–अपने हिस्से की आराजी पर मौखिक बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है किन्तु वादीगण की आराजी खसरा नंबर 5406/2846 राजमार्ग। में अवाप्त होने पर झूंठे कथनों के आधार पर वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र में दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन किये बिना सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । इस संबंध में आर0आर0टी0 2016 पेज 1147 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।आदेश 20 नियम 4 व 5 के तहत कारण अंकित करते हुए आदेश पारित करना आज्ञापक है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजियात होकर अविभाजित आराजियात है। अधी0न्याया0 ने उभयपक्ष को विवादित आराजियात के विभाजन से पूर्व रहन, बेचान, मुन्तकिल करने से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है। यदि वाद के निर्णय से पूर्व अपीलांट द्वारा विवादित आराजियात का हस्तातंरण, बेचान इत्यादि कर दिया जाता है तो वादीगण/रेस्पो0 द्वारा वाद प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट का साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि पत्रावली अप्रार्थी/अपीलांट के जवाब में विचाराधीन थी । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212

राज0काश्त0अधि0 1955 दिनांक 20.7.2020 को पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये । दिनांक 31.1.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 की और से अभिभाषक श्री शौकिन्दलाल गुर्जर ने वकलातनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा। तत्पश्चात् पत्रावली अप्रार्थी/अपीलांट के जवाब हेतु विचाराधीन रही एवं दिनांक 14.9.2020 को अधी0न्याया0 ने अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक तक भूमि के विशिष्ठ भू–भाग को विक्रय नहीं करने की अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया तथा पत्रावली में आगामी तारीख दिनांक 5.11. 2020 नियत की गई । नियत दिनांक 5.11.2020 से पूर्व अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने पत्रावली दिनांक 21.9. 2020 को न्यायालय मे रखकर अपीलांट/अप्रार्थी को जवाब का अवसर प्रदान किये बिना उभयपक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का आदेश पारित किया है । हम विद्वान अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन से सहमत है कि अधी0न्याया0 को अपीलांट/अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र का जवाब का अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांट/अप्रार्थी का जवाब प्राप्त होने से पूर्व प्रार्थना पत्र को सरसरी तौर पर निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने हेतु आवश्यक तीनों घटक यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं का विवेचन करना आज्ञापक है किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा अपने निर्णय में उपरोक्त आवश्यक घटकों का विवेचन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.9. 2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट/अप्रार्थी को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणाावगुण पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णित करे तब तक उभयपक्ष विवादित आराजियात को रहन, बय, मुन्तकिल नहीं करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर